>

Title: Need to check the forward trading in Essential Commodities and food items in the country.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महोदया, विगत कई दिनों से राज्यों के सदनों में, फोरम्स में बड़ी शिद्दत के साथ वायदा कारोबार के ऊपर चर्चा चल रही है। कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में समय-समय पर अपनी सिफारिशें देने वाली संसदीय स्थाई समिति ने जुलाई 2008 को अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखते हुए यह उल्लेख किया था कि कृषि उत्पादनों की कीमतों में कृत्रिम बढ़ोत्तरी के लिए देश का वायदा कारोबार जिम्मेदार है। किसानों को इस वायदे सौदे की तकनीकी जानकारी नहीं होने से इसका लाभ बिचौलिए ले जाते हैं और इन्हीं बिचौलियों की वजह से देश में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बनावटी उछाल आता रहता है। भारत का वायदा कारोबार बुरी तरह से सटोरियों के चंगुल में फंसा हुआ है। इससे जुड़ी बड़ी कम्पनियां और बड़े औद्योगिक घराने इस वायदा कारोबार में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और किसानों को इससे हानि हो रही है। इसी तरह की रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा गठित उपभोक्ता मामलों के कार्य समूह ने सर्वानुमति से अपना अभिमत प्रस्तुत किया है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, दलहन, खाद्य तेल, चावल, चीनी, चना, सोयाबीन, कपास, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, सरसों, हरी इलायची आदि में वायदा कारोबार की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से वायदा कारोबारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को इस कारोबार से जोड़ा है, तब से देश में महंगाई का प्रतिशत बढ़ा है। अतः सरकार से अनुरोध है कि आवश्यक वस्तुओं को इससे मुक्त किया जाए। वायदा करोबार देश से तत्काल समाप्त किया जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदया : श्रीमती बोचा लक्ष्मी झांसी और डॉ. प्रभा किशोर तावियाड अपने को श्री सज्जन वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करते हैं।